प्रेस विज्ञप्ति
1/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 29.07.2025 को जयेश मेहता और अन्य (वीवीएमसी घोटाला मामला) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई, पुणे, नासिक और सतना में 12 विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में 1.33 करोड़ रुपये की नकदी के अलावा, तत्कालीन वीवीएमसी आयुक्त, आईएएस, अनिल पवार के रिश्तेदारों और बेनामीदारों के नाम पर संपत्ति के दस्तावेज़ों के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज़/उपकरण, नकदी और चेक जमा पर्चियाँ आदि जब्त की गईं।

ईडी ने मीरा भयंदर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बिल्डरों, स्थानीय गुंडों और अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला 2009 से "वसई विरार नगर निगम (वीवीसीएमसी)" के अधिकार क्षेत्र में "सरकारी और निजी भूमि पर आवासीय सह-व्यावसायिक भवनों के अवैध निर्माण" से संबंधित है। वसई विरार शहर की स्वीकृत विकास योजना के अनुसार, "सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट" और "डंपिंग ग्राउंड" के लिए आरक्षित भूमि पर समय के साथ 41 अवैध इमारतों का निर्माण किया गया। आरोपी बिल्डरों और डेवलपर्स ने ऐसी भूमि पर अवैध इमारतों का निर्माण करके और बाद में अनुमोदन दस्तावेजों में हेराफेरी करके उन्हें (आम जनता को) बेचकर आम जनता को धोखा दिया है। यह जानते हुए भी कि ये इमारतें अनधिकृत थीं और अंततः ध्वस्त कर दी जाएँगी, डेवलपर्स ने इन इमारतों में इकाइयाँ बेचकर लोगों को गुमराह किया और इस तरह गंभीर धोखाधड़ी की।

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 08.07.2024 के आदेश द्वारा सभी 41 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद, 41 अवैध इमारतों में रहने वाले परिवारों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। वीवीसीएमसी द्वारा सभी 41 इमारतों को ध्वस्त करने का कार्य 20.02.2025 को पूरा किया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि वीवीसीएमसी अधिकारियों का एक संगठित गिरोह, जिसमें कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सीए और लाइजनर शामिल हैं, आपस में मिलीभगत करके काम कर रहे हैं। यह गिरोह वीवीसीएमसी के अधिकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर "अवैध निर्माण" के लिए जिम्मेदार है। वीवीसीएमसी के तत्कालीन कमिश्नर अनिल पवार, आईएएस ने इस गिरोह में अहम भूमिका निभाई। पीएमएलए के तहत की गई जांच से पता चला है कि अनिल पवार के वीवीसीएमसी के कमिश्नर **बनने के बाद**, कमीशन की रकम (रिश्वत की रकम) कमिश्नर के लिए **20-25 रुपये प्रति वर्ग फुट** और डीडीटीपी (टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर) वाई.एस. रेड्डी के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से परियोजना के कुल क्षेत्रफल पर **तय की गई थी**।

तलाशी अभियान के दौरान, बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए, जिनसे पता चलता है कि आईएएस अधिकारी अनिल पवार ने रिश्वत की रकम को सफेद करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों/बेनामीदारों के नाम पर कई संस्थाएँ बनाईं।

फर्जी संस्थाओं का गठन वीवीसीएमसी आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति के समय से ही हुआ है। ये संस्थाएँ मुख्य रूप से आवासीय टावरों के निर्माण और पुनर्विकास, गोदामों के निर्माण आदि के व्यवसाय में लगी हुई हैं।

तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों से वीवीसीएमसी के अधिकारियों/कर्मचारियों और आर्किटेक्ट्स/सीए/लाइसनरों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने में उनकी करीबी संलिप्तता का पता चलता है और इमारतों के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए वीवीसीएमसी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और काले धन के प्रवाह की सीमा पर प्रकाश पड़ता है।

मामले में पहले की गई तलाशी कार्रवाई में 8.94 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी, 23.25 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे जड़ित आभूषण और सोना-चांदी जब्त की गई और 13.86 करोड़ रुपये मूल्य के बैंक बैलेंस/शेयर/म्यूचुअल फंड/एफडी फ्रीज किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****